ISSN: 2393-8900 IMPACT FACTOR : 2.7825(UIF) VOLUME - 11 | ISSUE - 12 | AUGUST - 2025

HISTORICITY RESEARCH JOURNAL

"राष्ट्रीय निर्माण में सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं की भूमिका: सरदार पटेल का दृष्टिकोण"

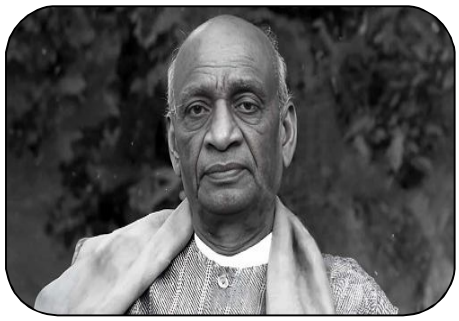

शगुन चतुर्वेदी
वरिष्ठ शोध अध्येता, सुरक्षा अध्ययन विभाग,
राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संस्थान, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय,
कुंढ़ेला, वडोदरा, गुजरात.

प्रस्तावना

"लौह पुरुष "की विभूषण प्राप्त सरदार वल्लभभाई पटेल ने न केवल स्वतंत्रता के बाद बिखरे हुए भारत को एक करने में निर्णायक भूमिका निभाई, बल्कि ऐसे संस्थागत ढांचे की भी नींव रखी जो आज तक भारत की आंतरिक सुरक्षा, न्याय प्रणाली और सामाजिक शांति के रक्षक बने हुए हैं। उनकी व्यवहारिक सोच और प्रशासनिक दूरदर्शिता ने शासन व्यवस्था को कानून, अनुशासन और जवाबदेही पर आधारित बनाया। भारत में पांच सौ साठ से अधिक रियासतों के विलय के दौरान उनका निर्णायक नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा) IAS) जैसी संस्थाओं को सुदृढ़ करने में उनका योगदान आज भी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ बना हुआ है। उनके अनुसार, मजबूत संस्थाएं ही लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, न्याय की निष्पक्ष आपूर्ति और सामाजिक शांति की गारंटी दे सकती हैं।

सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति उनका दृष्टिकोण, पृथकतावादी प्रवृत्तियों पर कठोर कार्रवाई और सभी समुदायों के लिए कानून के समक्ष समानता पर आधारित था, जो आज के समय में आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक समरसता की चुनौतियों से जुड़ा हुआ है। अनुशासन, विकेंद्रीकरण और संस्थागत स्थिरता पर उनका ज़ोर, आज के नीति-निर्माताओं और प्रशासकों के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शन प्रस्तुत करता है। यह शोध-पत्र विश्लेषण करेगा कि किस प्रकार सरदार पटेल के सिद्धांतों ने भारत की सुरक्षा संरचना, शांति स्थापना और संस्थागत विकास को प्रभावित किया। ऐतिहासिक घटनाओं, अभिलेखीय दस्तावेज़ों और समकालीन व्याख्याओं के माध्यम से यह अध्ययन पटेल की विरासत को वर्तमान संस्थागत सुधार, न्याय प्रणाली और शांति प्रक्रिया की बहसों से जोड़ेगा। आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों, सामाजिक ध्रुवीकरण और संस्थागत क्षरण के इस युग में सरदार पटेल के आदर्श भारत की लोकतांत्रिक संरचना को सशक्त बनाने के लिए एक सशक्त मॉडल प्रदान करते हैं। उनकी" शक्ति से एकता "और" स्थिरता से न्याय "की सोच समावेशी शासन और राष्ट्रीय लचीलापन की प्राप्ति की आधारशिला है।

बीजरूप शब्द *:सरदार पटेल, राष्ट्रीय सुरक्षा, न्याय, प्रशासनिक संस्थाएं शांति, रियासतों का एकीकरण*

परिचय

सरदार वल्लभभाई पटेल कोके रूप में जाना जाता है। "भारत के लौह पुरुष" ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम और बाद के एकीकरण में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। उन्होंने न केवल भारत को एकीकरण में निर्णायक भूमिका निभाई, बल्कि उनके द्वारा निर्मित संस्थागत ढांचे आज तक भारत की आंतरिक सुरक्षा, न्याय प्रणाली और सामाजिक शांति के रक्षक बने हुए हैं। व्यावहारिकता, दृढ़ता और राष्ट्रीय एकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उनका नेतृत्व की विशेषता थी। उनके भारत के पहले उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री के रूप मेंनेतृत्व ने नवजात राष्ट्र को

आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके दृष्टिकोण में **मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा, स्थायी शांति, न्यायसंगत न्याय** और **लचीली संस्थाएँ** शामिल थीं। देखने में ये चार स्तंभ अलग-थलग अवधारणाएँ थीं- लेकिन एक मजबूत, एकजुट और लोकतांत्रिक भारत की नींव का निर्माण करती गहराई से आपस में जुड़ी हुई थीं। यह शोध पत्र तर्क देता है कि सुरक्षा-शांति, न्याय और मजबूत संस्थानों के लिए सरदार पटेल का दृष्टिकोण न केवल मौलिक रूप से व्यावहारिक और एकीकृत, बल्कि भारत की तत्काल स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियों की स्पष्ट समझ और इसकी एकता और स्थिरता के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से भी प्रेरित था। उनके कार्यों ने लगातार दृढ़ता और कूटनीति, यथार्थवाद और लोगों की संप्रभुता में गहरे विश्वास का एक संश्लेषण प्रदर्शित किया, जिसने सामूहिक रूप से **आधुनिक भारत** के लिए मजबूत नींव रखी।

I. सरदार पटेल की राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि (सुरक्षा)

राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति पटेल का दृष्टिकोण व्यापक था, जिसमें **सैन्य रक्षा से परे क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक स्थिरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक विदेश नीति** शामिल थी।

अ .क्षेत्रीय अखंडता: रियासतों का एकीकरण

सरदार वल्लभभाई पटेल का राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति दृष्टिकोण व्यापक, व्यावहारिक और दूरदर्शी था। उनके लिए सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक स्थिरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक विदेश नीति जैसे तत्व भी शामिल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत से अधिक रियासतों और ब्रिटिश शासित प्रांतों 560में विभाजित था, जिससे देश की एकता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। यह स्थिति भारत केका खतरा उत्पन्न करती थी "बाल्कनीकरण", जहाँ प्रत्येक रियासत अपनी संप्रभुता की मांग कर सकती थी। पटेल ने इस संकट को दूर करने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने वीमेनन के .पी.साथ मिलकर गाजर और " की नीति अपनाई "छड़ी, जिसमें उन्होंने कूटनीति, अनुनय और आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग का सहारा लिया। (Namabiar, 2025) जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे राज्यों के मामले में उन्होंने सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में एकीकरणसुनिश्चित किया, जिसमें हैदराबाद के लिए प्रसिद्ध से अधिक रियासतें भारत में शामिल हुईं560 शामिल था। उनके प्रयासों से "ऑपरेशन पोलो", वह भी अत्यंत कम समय में और अधिकतर शांतिपूर्ण ढंग से जिसे इतिहास में एक कहा गया। "रक्तहीन क्रांति" (Namabiar, 2025)

पटेल का यह कार्य केवल भौगोलिक एकीकरण तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक मजबूत और साझा राष्ट्रीय पहचान के निर्माण की नींव भी रखी। उन्होंने बारबार यह स्पष्ट किया कि भारतीयों को जातीय-, क्षेत्रीय और धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर स्वयं को मानना चाहिए। उनके अनुसार "भारतीय", बिना भौतिक एकता के, राष्ट्रीय एकता और साझा उद्देश्य की भावना विकसित नहीं की जा सकती। पटेल का दृष्टिकोण व्यावहारिक था उन्होंने सशस्त्र क्रांति को खारिज किया—, यह मानते हुए कि यह केवल दमन को आमंत्रित करेगी और देश को नुकसानपहुंचाएगी। उनका यह यथार्थवादी दृष्टिकोण राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता था, जो स्वतंत्रता के बाद के समय में भारत की स्थिरता और अस्तित्व के लिए आवश्यक था। उनके निर्णयों में नैतिकता और व्यावहारिकता का संतुलन थाउन्होंने जहां — संभव हो शांति और संवाद को अपनाया, वहीं आवश्यक होने पर निर्णायक बल प्रयोग से भी नहीं हिचके। (Pawar, 2022)

इस प्रकार, सरदार पटेल की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति एक समग्र, अनुकूलनीय और दूरदर्शी रणनीति थी, जो नवगठित भारत के सामने खड़ी आंतरिक और बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक थी। उनका कार्य आज भी इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि राजनीतिक एकता, सामाजिक समरसता और व्यावहारिक नेतृत्व का समुचित संतुलन है। पटेल द्वारा स्थापित यह नींव आज भी भारत की सुरक्षा और एकता की आधारशिला बनी हुई है।

ब. आंतरिक सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था

भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल को स्वतंत्रता के बाद उपजे भीषण संकट जैसे विशेषकर विभाजन के दौरान फैली सांप्रदायिक हिंसा और शरणार्थी समस्या से निपटने का कठिन कार्य सौंपा गया था। पाकिस्तान सेभारत आए लाखों शरणार्थियों के पुनर्वास और उनके लिए राहत शिविरों का प्रबंधन एक बड़ा मानवीय और प्रशासनिक कार्य था, जिसे पटेल ने के साथ अंजाम दिया। "निर्मम दक्षता" पंजाब, दिल्ली और अन्य प्रभावित क्षेत्रों में फैली सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने पुलिस और सेना के सहयोग से

निर्णायक कदम उठाए। अमृतसर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में उनके हस्तक्षेप ने शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। (Parikh, 1956)

पटेल की आंतरिक सुरक्षा की नीति केवल तात्कालिक नियंत्रण तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने दीर्घकालिक संस्थागत ढांचे की नींव रखी। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं)IAS/IPS) को कहा। उनका मानना था कि "भारत का इस्पात ढांचा "**एक मजबूत, निष्पक्ष और एकीकृत प्रशासनिक प्रणाली ही देश की आंतरिक स्थिरता और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करसकती है**। इन सेवाओं को केवल शासन संचालन का उपकरण न मानकर उन्होंने इसे राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने वाला स्तंभ माना। उनकी दृष्टि में यह संस्थागत संरचना स्वतंत्र भारत को अंदर से कमजोर होने से बचाने का साधन थी जो राजनीतिक एकता को टिकाऊ बनाने में सहायक थी। (Parikh, 1956)

स. बाहरी सुरक्षा की दूरदर्शिता

सरदार पटेल की सुरक्षा दृष्टि केवल आंतरिक मसलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने बाहरी खतरों के प्रति भी असाधारण दूरदर्शिता दिखाई। उन्होंने चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं, विशेषकर तिब्बत पर उसके कब्जे के बाद, को गंभीरता से लिया और चीन के साथ सीमा सुरक्षा को लेकर भारत की लचर नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को एक पत्र में चेताया था कि चीन की मंशा शांति नहीं बल्कि विस्तारवाद है। यह दृष्टिकोण नेहरू की अपेक्षाकृत आदर्शवादी नीतियों के विपरीत अधिक यथार्थवादी और रणनीतिक था। इसी तरह, उन्होंने इज़राइल को मान्यता देने में अनावश्यक विलंब पर सवाल उठाया और स्पष्ट किया कि धर्म आधारित पूर्वाग्रहों को विदेश नीति से दूर रखना चाहिए। उनके अनुसार, भारत को अपनी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनानी चाहिए, न कि वैचारिक या भावनात्मक पक्षपात के आधार पर। (Menon, 1955)

उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था कि जब तक भारत अंदर से एकजुट, स्थिर और आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वह बाहरी खतरों का सामना प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। बाहरी सुरक्षा, उनके अनुसार, आंतरिक शक्ति और एकता पर निर्भर करती है। उन्होंने एक संगठित प्रशासन, सांप्रदायिक सद्भाव और भूराजनीतिक यथार्थवाद के संतुलन को भारत की समग्र सुरक्षा रणनीति का आधार बनाया।

द. आर्थिक आत्मनिर्भरताएक सुरक्षा अनिवार्यता :

सरदार पटेल की सुरक्षा नीति में आर्थिक आत्मनिर्भरता को भी केंद्रीय स्थान प्राप्त था। उनका मानना था कि जब तक भारत खाद्यान्न, उद्योग और आर्थिक संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक वह पूर्णतः स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। उनके अनुसार, राजनीतिक स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब उसके पीछे आर्थिक स्वतंत्रता की ठोस नींव हो। इसीलिए उन्होंने 'आत्मनिर्भर भारत' की अवधारणा का समर्थन किया, जो आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। पटेल का आर्थिक दृष्टिकोण संतुलित था उन्होंने औद्योगीकरण, कृषि पुनरुद्धार, निजी उद्यम और सरकारी हस्तक्षेप के संयोजन की वकालत की। उनका यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक समृद्धि या कल्याण के लिए नहीं था, बल्कि इसे वे भारत की रणनीतिक मजबूती का आधार मानते थे। उनके अनुसार, एक राष्ट्र जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर करता है वह बाहरी दबावों और प्रभावों के प्रति संवेदनशील बन जाता है।

इसलिए, उन्होंने तेज औद्योगीकरण, हथियारों और तकनीकी संसाधनों के स्वदेशी विकास, और विदेशी निर्भरता को कम करने पर बल दिया। इसके साथ ही, वे ग्रामीण भारत की स्थिति सुधारने के लिए कृषि को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता को भी समझते थे। उन्होंने बेरोजगारी और गरीबी से निपटने के लिए रोजगार सृजन और निवेश आधारित विकास को प्राथमिकता दी।

पटेल के आर्थिक विचार तीन स्तंभों पर आधारित थे **औद्योगिक विकास, निजी उद्यम का संवर्धन, और उदार सरकारी नीतियाँ**। उन्होंने मुक्त बाजार में विश्वास जताया और व्यापारिक वर्ग का विश्वास जीतकर स्वतंत्रता संग्राम के लिए वित्तीय संसाधन भी जुटाए। (Baburao, 2019) निष्कर्षतः हम ऐसा कह सकते है कि सरदार पटेल की राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा बहुआयामी थी जिसमें आंतरिक—व्यवस्था, बाहरी खतरे, और आर्थिक संरचना, तीनों को समग्र रूप में जोड़ा गया। उनकी व्यावहारिक, दूरदर्शी और संस्थागत दृष्टि ने भारत को एक स्थिर और सशक्त राष्ट्र बनने की राह पर डाला, जिसकी गूंज आज भी हमारे राष्ट्रीय ढांचे में सुनाई देती है।

II. सरदार पटेल की शांति की दृष्टि (शांति)

सरदार वल्लभभाई पटेल की दृष्टि में शांति केवल संघर्ष या हिंसा की अनुपस्थिति नहीं थी बल्कि एक व्यापक और सघन प्रक्रिया थी, जिसमें **साझा राष्ट्रीय पहचान, सामाजिक सामंजस्य, धार्मिक सहिष्णुता, न्यायसंगत प्रशासन और व्यावहारिक नेतृत्व** के तत्व निहित थे। उनका मानना था कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में स्थायी शांति का आधार केवल कानून और व्यवस्था नहीं हो सकता, इसके लिए राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, संघर्ष समाधान की प्रणाली और एक साझा उद्देश्य की भावना की आवश्यकता है।

अ. राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य को बढ़ावा देना

सरदार पटेल ने बारबार इस बात पर जोर दिया कि हर भारतीय को जाति-, पंथ, क्षेत्र या भाषा से ऊपर उठकर स्वयं को "भारतीय" के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, "हमें यह भूल जाना चाहिए कि हम राजपूत, सिख या जाट हैं; हमें यह याद रखना चाहिए कि हम भारतीय हैं।उनके अ "नुसार, भारतीय पहचान को प्राथमिकता देना ही राष्ट्र की स्थायी एकता और शांति का मूल आधार है। पटेल का यह विचार केवल एक आदर्शवादी उद्घोषणा नहीं था, बल्कि उनकी व्यावहारिक समझ का हिस्सा था कि विविधता के भीतर एकता का विकास भारत की आंतरिक स्थिरता के लिए अनिवार्य है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि जातिगत, धार्मिक और क्षेत्रीय निष्ठाएं आसानी से बाहरी हस्तक्षेप और आंतरिक विखंडन का कारण बन सकती हैं। इसीलिए, उन्होंने राज्यों के एकीकरण को केवल भौगोलिक प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि उसे एक मनोवैज्ञानिक और राष्ट्रीय पहचान को स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम माना। रियासतों का एकीकरण कृत्रिम बाधाओं को खत्म करने, एक समान कानून व्यवस्था लागू करने और की भावना को बढ़ावा देने में सहायक रहा। यह कार्य "अपनेपन") भविष्य में संभावित बाल्कनीकरण Balkanization) के विरुद्ध एक मजबूत दीवार के रूप में कार्य करता है।(Bhanu, 2016)एक भारत ' जैसी योजनाएं 'श्रेष्ठ भारत, जो बाद में आईं, इसी मूल दृष्टिकोण को आगे बढ़ाती हैं विविधता में एकता और समरसता को संस्थागत रूप — देना।

ब. सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना

सरदार पटेल सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे और उन्होंने इसे भारत की एकता व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना। विभाजन के दौरान फैली सांप्रदायिक हिंसा के समय उन्होंने शांति स्थापना के लिए कई सख्त और व्यावहारिक कदम उठाए।उन्होंने राहत शिविरों का आयोजन किया, सेना और प्रशासन को सक्रिय किया और समुदायों के बीच संवाद की व्यवस्था की। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हमें पाकिस्तान की तरह अपनी राजनीति को धर्म के आधार पर नहीं चलाना है। हर मुस्लिम को " महसूस होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक है और उसे पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।' (Chopra, 2001) उनकी यह सोच कि धर्म के आधार पर राजनीति चलाना भारत को विभाजित करेगा, अत्यंत दूरदर्शी थी। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के नेताओं से अपील की कि वे अलग निर्वाचक मंडलों की मांग छोड़ दें और सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकारों की बात करें। संविधान सभा में उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों की सलाहकार समिति का नेतृत्व करते हुए यह सुनिश्चित किया कि भारत में केवल एक नागरिकता हो जिसमें बहुमत और अल्पसंख्यक का भेद न रहे।(Chopra, 2001)

यह दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षता को केवल वैचारिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जरूरत के रूप में प्रस्तुत करता है। उनके अनुसार, एक बहुधार्मिक समाज में यदि सभी धर्मों के नागरिकों को समान अधिकार नहीं दिए गए तो वह समाज आंतरिक अशांति और संघर्षों में फंसा रहेगा।

स. संघर्ष समाधान और आम सहमति निर्माण

पटेल केवल प्रशासनिक नेता नहीं थे, वे एक कुशल मध्यस्थ और सहमतिनिर्माता भी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर-, उन्होंने नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य नेताओं के बीच मतभेदों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। उनका नेतृत्व समावेशी था वह — संवाद, समझदारी और सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया में विश्वास रखते थे। उन्होंने विभिन्न रियासतों के साथ बातचीत करते हुए स्थानीय संदर्भों, ऐतिहासिक शिकायतों और राजनीतिक जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए लचीली और सम्मानजनक रणनीति अपनाई। राज्योंके एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान उन्होंने जहां आवश्यक था वहाँ दबाव डाला, वहीं संवाद और आपसी विश्वास के माध्यम से समाधान खोजने की प्राथमिकता दी। (Parikh, 1956)

यह उनके नेतृत्व की उस विशेषता को दर्शाता है जिसे आज संघीय दृष्टिकोण) "federal sensibility) कहा जा सकता है—विविधता का सम्मान करते हुए समरसता की ओर बढ़ना। यह भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने शांति को सख्ती से लागू करने की बजाय सहमति और सहभागिता के माध्यम से अर्जित किया। उनका मानना था कि एक विविध लोकतंत्र में स्थिरता केवल कानून से नहीं, बल्कि नेताओं की संवाद क्षमता, सहमति निर्माण और सहभागिता पर आधारित रणनीति से आती है। इससे बड़े पैमाने पर असहमति को विनाशकारी संघर्ष में बदलने से रोका जा सकता है।

द. अहिंसा सत्याग्रह) एक रणनीतिक उपकरण के रूप में)

सरदार पटेल ने गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की नीति को न केवल समर्थन दिया, बल्कि उसका प्रभावी उपयोग भी किया। खेड़ा)1918) और बारडोली)1928) के आंदोलन इसका सशक्त उदाहरण हैं, जहाँ उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कर नहीं भरने के अभियान का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी और पटेल को 'सरदार' की उपाधि मिली। "सरदार" (Chopra, 2001) हालाँकि, पटेल की अहिंसा की समझ गांधी से कुछ भिन्न थी। उन्होंने इसे एक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि एक अत्यधिक प्रभावी राजनीतिक और रणनीतिक साधन के रूप में देखा। उन्होंने सशस्त्र क्रांति को अव्यावहारिक और निष्फल मानते हुए खारिज कर दिया, विशेषकर ऐसे समय में जब जापान जैसे देश भारत की सीमाओं तक आ पहुँचे थे। उन्होंने माना कि अहिंसा उस स्थिति में कारगर है जब जनता उसमें विश्वास करे और उसका सामूहिक रूप से पालन करे। जब आवश्यक हो, जैसे कि हैदराबाद के एकीकरण के समय, उन्होंने बल प्रयोग को भी उचित समझा, यदि वह राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के हित में हो। (Krishna, 2018) इससे यह स्पष्ट होता है कि पटेल की शांति की दृष्टि केवल सैद्धांतिक या भावनात्मक नहीं थी, बल्कि यथार्थवादी और परिणामोन्मुख थी। वे जानते थे कि हर स्थिति में एक ही रणनीति कारगर नहीं होती; इसीलिए उन्होंने अपनी रणनीतियों को संदर्भ के अनुसार ढाला और शांति को एक *लक्ष्य* के रूप में देखा, न कि किसी एक *सिद्धांत* का अनुकरण मात्र।

सरदार पटेल की शांति की दृष्टि व्यावहारिक आदर्शवाद)pragmatic idealism) का प्रतिनिधित्व करती है। एक ऐसी नीति जो सिद्धांतों को त्यागे बिना व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करती है। उनके लिए शांति केवल संघर्ष की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, न्याय, और सुदृढ़ संस्थाओं के निर्माण की प्रक्रिया थी। उन्होंने यह साबित किया कि भारत जैसे जटिल और विविध राष्ट्र में शांति को टिकाऊ बनाने के लिए एक साझा राष्ट्रीय पहचान, धर्मनिरपेक्ष संरचना, संवादशील नेतृत्व और रणनीतिक लचीलापन आवश्यक हैं। उनके दृष्टिकोण आज भी भारत की शासन व्यवस्था और राष्ट्रीय एकता की आधारशिला बने हुए हैं।

III. सरदार पटेल की न्याय की दृष्टि (न्याय)

सरदार वल्लभभाई पटेल की दृष्टि में केवल एक वैधानिक अवधारणा या न्यायपालिका की जिम्मेदारी भर नहीं थी "न्याय", बल्कि यह एक ऐसा मूलभूत मूल्य था, जो उनके राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण में रचा-बसा था। न्याय उनके लिए सामाजिक - समानता, अवसर की समानता, गरिमा की रक्षा, कानून का शासन और सबसे बढ़कर लोगों की संप्रभुता को मूर्त रूप देना था। उनके नेतृत्व–दृष्टि क-की प्रत्येक पहल इस व्यापक न्याय ा प्रतिबिंब थी।

अ. सामाजिक न्याय और समानता

पटेल का सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण उनके प्रारंभिक राजनीतिक जीवन से ही स्पष्ट था। खेड़ा)1918) और बारडोली (1928 (नीति और प्रशासनिक दमन के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इन-के किसान आंदोलनों में उन्होंने अन्यायपूर्ण कर आंदोलनों ने न केवल किसानों को आर्थिक राहत दी, बल्कि उनके अधिकारों के लिए एक नैतिक वैधता भी स्थापित की। उनकी सोच थी कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक भारत सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र नहीं बन सकता। उन्होंने दलितों, आदिवासियों और अन्य वंचित समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए नीतिगत समर्थन दिया। उनके प्रयासों में आरक्षण की स्वीकृति, सामाजिक समरसता का प्रचार और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करना शामिल था। पटेल की यह समझ अत्यंत व्यावहारिक थी कि सामाजिक असमानता और उपेक्षा देश की आंतरिक शांति, एकता और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। (Singh S. , 2024) अतः उन्होंने सामाजिक न्याय को केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता का उपकरण माना।

उन्होंने महिला सशक्तिकरण को भी न्याय का अनिवार्य भाग माना। बारडोली आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, उनके निर्णय लेने में शामिल होने की खुली स्वीकार्यता और हिंदू कोड बिल के समर्थन ने यह सिद्ध किया कि वह महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी समानता के प्रबल पक्षधर थे। अमूल डेयरी जैसे सहकारी संगठनों की नींव स्थानीय समुदायों, विशेषतः महिलाओं के आर्थिक अधिकारों और आत्मनिर्भरता को न्यायपूर्ण प्रणाली के तहत सशक्त बनाने के विचार पर आधारित थी। (Chopra, 2001) यह केवल ग्रामीण विकास नहीं, बल्कि सशक्तिकरण आधारित न्याय की दिशा में कदम था।

ब. मौलिक अधिकार और संवैधानिक सुरक्षा उपाय

पटेल ने संविधान सभा में मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक संरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों पर गहरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया। वे मौलिक अधिकारों की महत्ता को समझते थे, किंतु उन्होंने यह भी ज़ोर दिया कि ये अधिकार समाज में अनुशासन, जिम्मेदारी और कानून व्यवस्था के ढांचे में रहकर ही फलित हो सकते हैं। उन्होंने संविधान को एक सक्रिय न्यायसंरचना के रूप में देखा-, जो मनमाने शासन को समाप्त करे और नागरिकों को संरक्षित स्वतंत्रता प्रदान करे। उनका यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि वे केवल भावनात्मक न्याय की बात नहीं करते थे, बल्कि एक संवैधानिक और संस्थागत न्याय प्रणाली के माध्यम से ही न्याय को साकार मानते थे। संविधान सभा में उन्होंने आदिवासी, अल्पसंख्यकों और वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली उपायों का समर्थन किया (Menon, 1955)। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि इन वर्गों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में समाहित करने के लिए उनके सांस्कृतिक अधिकारों के साथ-साथ आर्थिक और - राजनीतिक अधिकारों को भी संरक्षित किया जाए।

उन्होंने अनुच्छेद 314 का समर्थन कर यह सिद्ध किया कि न्याय केवल आम जनता के लिए ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक सेवाओं में भी स्थायित्व, सुरक्षा और निष्पक्षता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह न्याय की एक संतुलित दृष्टि थी, जहाँ अधिकार और कर्तव्यों — दोनों की रक्षा की जाती है।

स. शासन में निष्पक्षता और कानून का शासन

पटेल का मानना था कि बिना निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन के न्याय की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने बारबार - से दूर रहने की अपेक्षा की। उनके अनुसार "सांप्रदायिक झुकावों" और "राजनीतिक दबावों" प्रशासनिक अधिकारियों से, एक अफसर का धर्म निष्पक्षता और जनहित होना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति, पार्टी या वर्ग का पक्ष लेना। उनकी यह सोच ब्रिटिश शासन के उस मनमानेपन से उपजी थी जहाँ होती थी। स्वतंत्र भारत में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कल्पना की 'राजा की इच्छा ही कानून', जहाँ नियम, प्रक्रिया और जवाबदेही के साथ शासन हो, न कि शासकों की सनक से। पटेल ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक प्रणाली की नैतिकता और ईमानदारी ही जनता में सरकार की वैधता का आधार है। अगर नागरिक यह मानने लगें कि शासन पक्षपाती, भ्रष्ट या राजनीतिक रूप से प्रेरित है, तो न्याय का विश्वास नष्ट हो जाता है और अंततः यह असंतोष और अस्थिरता को जन्म देता है। उनके नेतृत्व में स्थापित भारतीय प्रशासनिक सेवा)IAS) का उद्देश्य ही यही था कि एक निष्पक्ष, जवाबदेह और सेवाप्रोत प्रशासन खड़ा किया जाए-भावना से ओत-, जो राष्ट्र की रीढ़ बने। (Krishna, 2018)

द लोकतांत्रिक.सिद्धांत और लोगों की संप्रभुता

सरदार पटेल का न्यायराज्य जनता का " दृष्टिकोण लोकतांत्रिक सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि है, न कि राजाओं का। वे मानते थे कि संप्रभुता का स्रोत जनता है", न कि किसी सिंहासन का वारिस। रियासतों के भारत में विलय के दौरान उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अंततः निर्णय जनता की इच्छा के अनुसार हों, न कि केवल शासकों की सहमति पर आधारित। यह उनका लोकतांत्रिक न्याय का मूल सिद्धांत था, जनता सर्वोपरि है। हालाँकि पटेल एक मज़बूत केंद्र के पक्षधर थे –, उन्होंने कभी भी विकेंद्रीकरण या स्थानीय स्वशासन को खतरे के रूप में नहीं देखा। उन्होंने सीधे निर्वाचित राज्यपालों का सुझाव दिया और पंचायतों को स्थानीय स्वशासन का प्राथमिक माध्यम माना। उनकी यह सोच स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि न्याय केवल राष्ट्रीय स्तर की संरचनाओं से नहीं आता, बल्कि वह स्थानीय स्तर पर लागू लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से फलीभूत होता है। इसलिए उन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण को जवाबदेही और उत्तरदायित्व से जोड़ा जिससे सरकारें अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनें –, और नागरिक भी अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग हों। (Noorani, 2000)

सरदार पटेल की न्याय की दृष्टि एक समग्र, व्यावहारिक और दूरदर्शी विचारधारा थी। उनके लिए न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा, अवसर और सुरक्षा प्राप्त हो। उनके दृष्टिकोण में सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार, निष्पक्ष प्रशासन और लोकतंत्र ये सभी परस्पर जुड़े हुए थे। उन्होंने यह समझा कि जब तक न्याय – की जड़ें समाज, प्रशासन और राजनीति में गहराई से नहीं जमतीं, तब तक राष्ट्र स्थायी रूप से संगठित और शांतिपूर्ण नहीं रह सकता।

IV. सरदार पटेल की सशक्त संस्थाओं की दृष्टि(सशक्त संस्थाओं)

सरदार वल्लभभाई पटेल की राष्ट्र निर्माण की दृष्टि केवल राजनीतिक एकीकरण तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने एक मजबूत, उत्तरदायी और नैतिक संस्थागत ढांचे की परिकल्पना की थी, जो भारत जैसे विविध, नव स्वतंत्र राष्ट्र को दीर्घकालिक स्थिरता, न्याय और विकास की दिशा में मार्गदर्शन कर सके। उनके लिए केवल भौतिक या प्रशासनिक संरचनाएँ नहीं थीं "सशक्त संस्थाएँ", बल्कि वे गहन नैतिक, संवैधानिक और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना से अनुप्रणित जीवंत संस्थाएँ थीं, जो राष्ट्र और नागरिकों के बीच विश्वास का पुल बनती हैं।

अ. 'इस्पात ढाँचा': अखिल भारतीय सेवाएँ)IAS और IPS)

पटेल ने अखिल भारतीय सेवाओं को भारत का कहा "इस्पात ढाँचा", जो स्वतंत्रता और विभाजन की उथल-पुथल भरी- परिस्थितियों में शासन और कानून व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने में सक्षम हो। उन्होंने स्पष्ट कहा, "यदि आपको एक सशक्त और संगठित भारत चाहिए, तो आपको एक अखंड और स्वतंत्र सिविल सेवा की आवश्यकता है।उनकी दृष्टि में ", भारतीय प्रशासनिक सेवा)IAS) और भारतीय पुलिस सेवा)IPS) केवल नौकरशाही संस्थाएँ नहीं थीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के साझेदार थे। उन्होंने यह आग्रह किया कि इन सेवाओं को राजनीति और सांप्रदायिक प्रभावों से दूर रखा जाए ताकि वे निष्पक्षता, ईमानदारी और राष्ट्रहित के मूल्यों पर कार्य कर सकें। पटेल ने अफसरों को अपने मन की बात कहने की स्व"तंत्रता देने पर बल दिया। उनका मानना था कि एक अफसर को सरकार को निष्पक्ष राय देने " और अपने विवेक से निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। यह संस्थागत स्वायत्तता ही सिविल सेवा को नीतिगत कार्यान्वयन में प्रभावी और जवाबदेह बनाती है। (Singh S. B., 2023) आईपीएस की स्थापना भी उनके ही मार्गदर्शन में हुई। उन्होंने भारतीय पुलिस को जनता की सुरक्षा और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध संस्था के रूप में पुनः परिभाषित किया। पुलिस को "शक्ति का माध्यम", बल्कि न्याय " मानने "और सुरक्षा का संरक्षक की उनकी दृष्टि, लोकतांत्रिक समाज में सशक्त संस्थाओं की नैतिक भूमिका की ओर संकेत करती है।

ब. संवैधानिक वास्तुकला और संघीय संरचना

पटेल संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्य थे और उन्होंने अनेक समितियों का नेतृत्व किया, जैसे कि प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक उपसमिति, और राज्यों से संबंधित समितियाँ। उनकी समझ यह थी कि राजनीतिक एकता और क्षेत्रीय विविधता के बीच संतुलन बनाए बिना भारत का स्थायी भविष्य संभव नहीं। उन्होंने एक मजबूत केंद्र की पैरवी करते हुए यह स्पष्ट किया "यदि केंद्र मजबूत नहीं होगा, तो भारत फिर से बिखर जाएगा।लेकिन साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राज्यों को स्वायत्तता मिले ", जिससे वे स्थानीय प्रशासन में स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। यह द्वैध दृष्टिकोण भारतीय संघवाद की नींव बना। उन्होंने भाषाई सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं को समझते हुए संघीय ढाँचे को लचीला और समावेशी बनाने की कोशिश की। पटेल की यह दूरदर्शिता के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का 1956 मार्ग प्रशस्त करती है, जिसमें राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया का व्यावहारिक रूप सामने "एकता में विविधता" जिससे – आया। (Noorani, 2000) यह स्पष्ट करता है कि पटेल के लिए संघवाद कोई बाध्यता नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक तंत्र था जो स्थानीय आकांक्षाओं को संतुलित करते हुए राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करता है।

स. स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण

सरदार पटेल का विश्वास था कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति ग्राम स्तर पर होती है। उन्होंने स्वशासी पंचायतों को स्थानीय प्रशासन का आधार बनाने का समर्थन किया और कहा कि यदि ग्राम सरकारें मजबूत होंगी", तो राष्ट्र अपने आप सशक्त हो जाएगा।उनके " राजनीतिक जीवन की शुरुआत अहमदाबाद नगर पालिका से हुई थी, जहाँ 1924–के बीच अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने नगर प्रशासन को 1928 सुधारने का सफल प्रयास किया। उन्होंने जल, स्वच्छता, शिक्षा, जल निकासी आदि में व्यावहारिक सुधार किए, जिससे एक प्रभावी और

उत्तरदायी स्थानीय प्रशासन की नींव रखी गई। उनका यह अनुभव ग्राम और नगर स्तर के संस्थानों के महत्व को उजागर करता है। (Chopra, 2001) पटेल की दृष्टि में, नीचे से ऊपर का संस्थागत निर्माण ही लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करता है। ग्राम पंचायतें केवल विकास के साधन नहीं, बल्कि जन भागीदारी और सशक्तिकरण का जरिया थीं। यह विकेंद्रीकरण का दृष्टिकोण न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि नागरिकों में उत्तरदायित्व और भागीदारी की भावना भी उत्पन्न करता है जो किसी भी जीवंत लोकतंत्र की पहचान है।–

द. सत्यनिष्ठा और जवाबदेही का संस्थागतकरण

सरदार पटेल का सबसे बड़ा बल बार यह दोहराया कि प्रशासन में कार्यरत लोग यदि भ्रष्टपर था। उन्होंने बार "सत्यनिष्ठा", पक्षपाती या अनैतिक हो जाएँ, तो कोई भी संस्थागत ढाँचा टिक नहीं सकता। उनका स्पष्ट मत थायदि सेवक ईमानदार नहीं रहेंगे" :, तो संस्थाएँ खोखली हो जाएँगी और जनता का विश्वास टूटजाएगा।के रूप में देखा "राष्ट्र के कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधि" उन्होंने सिविल सेवकों को ", जिनका व्यवहार पारदर्शी, निष्पक्ष और नागरिकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। (Krishna, 2018)

उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग)UPSC) और राज्य लोक सेवा आयोगों की स्थापना करवाई ताकि निष्पक्ष, योग्यताआधारित - त और पारदर्शी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। यह संस्थागत संरचना आज भी भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। पटेल की दृष्टिमें एक मजबू संस्था वह है जो न केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलता से करे बल्कि सार्वजनिक विश्वास का भी प्रतीक बने। इसके लिए सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और पेशेवर नैतिकता अनिवार्य तत्व हैं।

सरदार पटेल की संस्थागत दृष्टि अत्यंत व्यावहारिक, दूरदर्शी और नैतिक मूल्यों से समृद्ध थी। उनके लिए मजबूत संस्थाएँ केवल कानूनी या प्रशासनिक ढाँचों का नाम नहीं थीं, बल्कि वे न्याय, स्थिरता और सार्वजनिक सेवा के नैतिक स्तंभ थीं। चाहे वह अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण हो, एक मजबूत लेकिन लचीली संघीय संरचना हो, पंचायतों के माध्यम से विकेंद्रीकरण हो या सत्यनिष्ठा और जवाबदेही का आचरणभारत :हर स्तर पर पटेल का उद्देश्य था— में ऐसी संस्थाएँ स्थापित करना जो विविधता को समेटते हुए एकता को बनाए रखें और नागरिकों में विश्वास और सहभागिता उत्पन्न करें। (Pawar, 2022)

आज जब शासन और लोकतंत्र की चुनौतियाँ नई रूप ले रही हैं सरदार पटेल की यह संस्थागत दृष्टि और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि किसी भी राष्ट्र की मजबूती उसकी संस्थाओं की मजबूती में निहित होतीऔर संस्थाओं की असली— ताकत उनमें काम करने वाले नैतिक और उत्तरदायी नागरिकों से आती है।

निष्कर्ष: एक एकीकृत दृष्टिकोण की स्थायी विरासत

सरदार पटेल का दृष्टिकोण एक कसकर बुनी हुई टेपेस्ट्री की भांति था, जिसमें सुरक्षा, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएँ न केवल परस्पर सुदृढ़ थीं, बल्कि एक-दूसरे पर निर्भर भी थीं। उन्होंने यह स्पष्ट रूप से समझा कि भारत जैसा विविध, नवस्वतंत्र राष्ट्र तभी स्थिर रह सकता है जब उसके भीतर राजनीतिक एकता, प्रशासनिक दक्षता, सामाजिक न्याय और संस्थागत विश्वसनीयता का तालमेल हो। रियासतों को एकीकृत करने की उनकी स्मारकीय उपलब्धि ने सीधे भारत की भौगोलिक और राजनीतिक एकता को जन्म दिया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिली। यह कोई सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि एक "शांत क्रांति' थी, जिसने बिना व्यापक रक्तपात के 562 से अधिक राज्यों को भारत गणराज्य में शांतिपूर्वक मिला दिया। इस एकता को आगे बनाए रखने और समरस भारत के निर्माण के लिए उन्होंने मजबूत, निष्पक्ष और उत्तरदायी प्रशासनिक सेवाओं की नींव रखी। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) को "भारत का इस्पात ढाँचा" कहा, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने, निष्पक्ष न्याय प्रदान करने और शासन की स्थिरता सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही, पटेल की लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था उनके न्याय और संस्थागत दृष्टिकोण में परिलक्षित होती है। उन्होंने संविधान सभा में मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर जिस प्रतिबद्धता के साथ काम किया, वह उनके न्यायप्रिय नेतृत्व का प्रतीक था। सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा दिया और लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत किया। इसका सीधा असर यह हुआ कि नागरिकों के भीतर विश्वास की भावना प्रबल हुई, जिसने आंतरिक सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया।

पटेल का संस्थागत दृष्टिकोण व्यावहारिक था। उन्होंने यह माना कि यदि संस्थाएँ केवल संरचनात्मक रूप से मजबूत हों, पर नैतिक रूप से भ्रष्ट हों, तो वे राष्ट्र को दीर्घकालिक स्थिरता नहीं दे सकतीं। इसलिए उन्होंने सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और ईमानदारी को सार्वजनिक सेवा की आत्मा माना। उनका मानना था कि यदि इन मूल्यों पर समझौता किया गया तो "सार्वजनिक सेवा की सत्यनिष्ठा और गरिमा कमजोर

होगी।" उनका जीवन सरलता, कर्तव्यनिष्ठा और संकल्प मूल्यों का मूर्त रूप था। उन्होंने शासन की मानवीय संवेदनशीलता को समझते हुए स्थानीय शासन और विकेंद्रीकरण का भी समर्थन किया। पंचायतों के माध्यम से स्वशासन की अवधारणा ने लोकतंत्र की जड़ों को गहराई तक पहुँचाया। अहमदाबाद नगर पालिका में उनके अनुभव ने यह सिद्ध किया कि शासन की प्रभावशीलता उसकी स्थानीय उपस्थिति और नागरिक सहभागिता पर भी निर्भर करती है।

इन सबके मूल में पटेल की भारतीय राष्ट्र का समेकन और समग्र कल्याण एक स्पष्ट प्राथमिकता थी। उनकी व्यावहारिकता ने लक्ष्य की सिद्धि के लिए नीतिगत लचीलापन और नैतिक दृढ़ता का संतुलन साधने और साधनों को साध्य के अनुकूल बनाने की क्षमता दी। पटेल के योगदान ने "अमिट विरासत" और "एक लोकतांत्रिक और संप्रभु भारत के लिए एक स्थिर नींव" रखी। उन्हें "भारत के एकीकरणकर्ता" और "भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत" के रूप में याद किया जाता है। उनके जन्मदिन (31 अक्टूबर) को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया जाना और 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' जैसे स्मारकों का निर्माण राष्ट्र की पहचान और एकता के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

आज की वैश्विक चुनौतियों और घरेलू विभाजनों से जूझती दुनिया में पटेल के सिद्धांत राष्ट्रीय एकता, व्यावहारिक शासन और संस्थाओं के सम्मान "गहरी प्रासंगिकता" रखते हैं। उनका जीवन और दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि विविधता में एकता केवल एक आदर्श नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित संस्थागत दृष्टिकोण और नैतिक नेतृत्व से ही संभव है। उनकी विरासत एक प्रेरणा है जो हमें याद दिलाती है कि एक राष्ट्र की असली ताकत उसकी विविधता को अपनाने, साझा मूल्यों को बनाए रखने और मजबूत संस्थाओं के सहारे प्रगति पथ पर अग्रसर रहने की क्षमता में निहित होती है।

सन्दर्भ सूची

1. Baburao, L. R. (2019). Sardar Vallabhbhai Patel and National Integration. *Histrocity Research Journal, 5*(12). https://doi.org/https://oldhistoricity.lbp.world/Administrator/UploadedArticle/721.pdf
2. Bhanu, T. (2016). A study on Contributions of Sardar Vallabhbhai Patel in consolidating Historical Elements in New India after independence. *INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS, 4*(10), 26.
3. Chopra, P. (2001). *Inside Story of Sardar Patel The Diary of Maniben Patel:1930-50.* Vision Books.
4. Krishna, B. (2018). *Sardar Vallabhbhai Patel the Man Who Unified the India.* HarperCollins in India.
5. Menon, V. P. (1955). *Integration of the Indian States.* Longmans, Green and Co London.
6. Namabiar, P. (2025). Internal Security of India: The Sardar's Perspective. In *Sardar Patel* (p. 15). Routhlege India.
7. Noorani, A. G. (2000). *Constitutional Questions in India: The President, Parliament and the States.* Oxford University Press.
8. Parikh, N. D. (1956). *Sardar Vallabhbhai Patel Vil. 1-10.* Nawajiwan Publishing House, Ahmedabad.
9. Pawar, P. (2022, Oct 31). National Unity Day: Memorizing Sardar Patel's Vision of Unity in India. *nlcbharat.org*. Retrieved from https://nlcbharat.org/national-unity-day-memorializing-sardar-patels-vision-of-unity-in-india/
10. Singh, S. (2024). Study of Sardar Patel and Dr. B R Ambedkar in India's Social Transformation. *International Journal for Miltidiciplinary Research, 6*(2), 1. https://doi.org/https://www.ijfmr.com/papers/2024/2/16010.pdf
11. Singh, S. B. (2023, Oct 23). Legacy of Unity: Sardar Patel's Contribution to India's Integration. *Employment News*. Retrieved from https://employmentnews.gov.in/NewEmp/MoreContentNew.aspx?n=SpecialContent&k=110589